



गुजरात के आदिवासी समाज में शिक्षा की प्रवर्तमान समस्याएँ

डॉ. सुरेशभाई सी. पाडवी,

अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर पी.जी. डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन, सरदार पटेल युनिवर्सिटी,
वल्लभविधानगर जिल्ला - आणंद (गुजरात) ईमेल - s.padavi@yahoo.com

प्रस्तावना :


आदिवासी समाज जीवन प्रगाढ रूप से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। उनका खानपान, अर्थव्यवस्था, निवास आदि हर प्रकार से जीवनयापन प्रकृति आधारित रहा है। आदिवासी शुरुआत से ही प्रकृति के साथ संघर्ष करता आया है, और आज भी उनके जीवनयापन में कोई सार्थक सुधार नहीं आया है। स्वतन्त्र भारत में आदिवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु अनेकों चर्चाएँ एवं विचार गोष्ठियाँ होती रही हैं। मई, १९७२ में विज्ञान भवन नई दिल्ली द्वारा इन्डीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी, शिमला एवं भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद में आदिवासी समाज के लोगों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। आजादी के ७० साल के बाद भी आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीडित नजर आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने वाला महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास संभव है। संविधान में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के विकास की बात कही गई है। गुजरात में सरकार पिछले कुछ दशक से आदिवासी समाज में शैक्षिक विकास के लिए प्रयासरत है। आदिवासी समाज में शैक्षिक उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र में अनेक विधालय एवं होस्टेल खोले गये हैं तथा विधार्थियों के लिए भी मुफ्त शिक्षा, होस्टेल फीस में राहत एवं मुफ्त पाठ्यपुस्तक आदि का प्रावधान किया गया है, फिर भी अन्य समाजों की तुलना में आदिवासी समाज में सार्थक शैक्षिक उन्नयन नहीं हुआ है। इसलिए प्रस्तुत अभ्यास में आदिवासी समाज में शिक्षा की समस्याएँ जानने का प्रयास किया गया है।

गुजरात में आदिवासी समाज की स्थिति :

गुजरात में आदिवासी समाज की अनेक जातिया बसती हैं, कुल २६ आदिवासी समुदाय हैं। अंबाजी से उमरगाम तक पूर्व दिशा में राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से विविधता एवं विषमता वाला प्रदेश है। भारत में कुल जनसंख्या में ८.१ प्रतिशत आदिवासी समाज के लोग हैं जबकि गुजरात में कुल जनसंख्या में १४.७४ प्रतिशत आदिवासी

समाज के लोग रहते हैं।



मानचित्र : आदिवासी विस्तार

गुजरात में २००१ की जनगणना के अनुसार साक्षरता ६९.१ प्रतिशत थी जो २०११ की जनगणना के अनुसार ७८ प्रतिशत हुई है। जबकि अनुसूचित जनजाति २००१ में साक्षरता ४७.७ प्रतिशत थी जो २०११ में ६२.५ प्रतिशत तक पहुंची है।

अनुसूचित जनजाति :

जनजाति या जनजातीय शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 342 के अनुसार, एसटी जनजाति या जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। जनजाति पारंपरिक हिंदू जाति संरचना का हिस्सा नहीं हैं भारत में एसटी दुनिया के अन्य भागों में "स्वदेशी" या "देशी लोगों" की तरह अधिक हैं।

मिश्रा (2002) अनुसूचित जनजातियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो (i) खुद को स्थानिक मानते हैं; (ii) आमतौर पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं; (iii) मोटे तौर पर एक जीवन निर्वाह के लिए अर्थव्यवस्था का पीछा करते हैं; (iv) ये लोग परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं अपनाते हैं; (v) सामान्य वंश में विश्वास करते हैं और (vi) मजबूत सामूहिक संबंध रखते हैं हालांकि, सभी विशेषताओं सभी आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होती हैं।

आदिवासियों समरूप समूह नहीं हैं एसटी के कम से कम चार समूह - शिकार-एकत्र करने वाले समूह, कृषि समूह, सिंचाई-कृषि समूह और औद्योगिक मजदूरी कमाई समूह का समावेश किया जाता है।

शैक्षिक समस्याएँ :

आदिवासी समाज में शिक्षा की समस्याएँ निम्न हैं -

शिक्षा का माध्यम :

आदिवासी समाज में अपनी एक प्रादेशिक भाषा होती है जिसमें शिक्षा उपलब्ध नहीं हैं जिससे काफ़ी लोग शिक्षा में जूझने से वंचित रहते हैं।

आर्थिक स्थिति :

आदिवासी समाज के अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए वे अपने बालकों की शिक्षा के लिए आर्थिक खर्च नहीं कर पाते हैं जिससे वे शिक्षा से वंचित रहते हैं।

सम्पर्क विहीन गाँव :

आदिवासी समाज के लोग अधिकतर जंगलों एवं पहाड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके गाँवों तक आज भी कई इलाकों में शिक्षा का मंदिर यानि विधालय नहीं पहुंचा है। इसके कारण भी आदिवासी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया है।

शिक्षक संबंधित समस्याएँ :

आदिवासी क्षेत्रों की विधालयों में कार्य करने वाले कई शिक्षक अपना जुगाड लगाकर स्थानान्तरण करवा देते हैं, जो नहीं करवा पाते वे अपना कार्य नियमित रूप से और निष्ठा से नहीं करते हैं तथा आदिवासी क्षेत्र की विधालयों में शिक्षकों के कई पद खाली है, जिससे भी आदिवासीयों का शिक्षा से मोहभंग होता है।

उचित जाँच का अभाव :

आदिवासी लोगों में जागरूकता का अभाव होता है इसलिए ऐसे विस्तारों में शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों में, योजनाओं में एवं विधालयों में सरकार द्वारा नियमित एवं उचित जाँच नहीं हो पाती इसलिए शिक्षा व्यवस्था लचर हो जाती है।

लिंग भेद :

भारत में आदिवासी समाज में सबसे अच्छा लिंगानुपात है परंतु शिक्षा के मामले में समाज में लिंग भेद के कारण आज भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है जिससे शिक्षा के मामले में समाज पिछड़ा हुआ है।

शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का अभाव :

आदिवासी क्षेत्रों में आज भी अनेक शैक्षिक संस्थाएँ अन्य समाज के लोगों की हैं जिसमें आदिवासी समाज के लोगों की भागेदारी नहिवत है जिससे शिक्षा के लिए वे समर्पण, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से कार्य नहीं करते हैं इसलिए समाज शिक्षा में उन्मुख नहीं हो सका है।

अभ्यासक्रम में प्रादेशिक विषयवस्तु का अभाव :

अभ्यासक्रम में आदिवासी समाज के प्रादेशिक तथ्यों का समावेश नहीं किया जाता है। आदिवासी समाज कि अपनी संस्कृति है, जिसकी विशिष्ट परंपराए, रीत-रिवाज, रहन सहन,

खान-पान एवं त्यौहार-उत्सव है। जिनका समावेश अभ्यासक्रम में नहीं होने से भी उन लोगों में एक तरह की पक्षपात की भावना जन्म लेती है जिससे भी लोग शिक्षा विहीन हैं।

प्रोत्साहन का अभाव :

आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जाती हैं परंतु यह योजनाएँ प्रथम पीढ़ी के बालकों के लिए विशेष परिस्थितियों में कुछ उपयोगी हो सकती हैं मगर बालकों में गुणवत्तयुक्त शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है। जिसके बिना शिक्षा का स्तर उंचा नहीं उठ सकता।

प्रवासन:

प्रवासी मजदूरों के बच्चे मूल अधिकारों से वंचित हैं। देश के कई हिस्सों में मौसमी प्रवास एक वास्तविकता बन गया है, जो सूखा और पर्यावरणीय गिरावट के कारण है और कई आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या विशेष रूप से आम है। इसके कारण भी आदिवासी समाज में आज भी प्रत्येक बालक शिक्षा से नहीं जुड़ सका है।

उपर्युक्त समस्याओं के कारण आज भी आदिवासी समाज शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछड़ा हुआ है। आदिवासी समाज में शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार को योजनाओं को सुचारू ढंग से संचालन करना चाहिए।

उपसंहार :

आदिवासियों में शिक्षा के लिए अनेक समस्याएँ व कारण जिम्मेदार हैं फिर भी नैकी के साथ अगर आदिवासियों की समस्याएँ दूर करने के लिए मिडीया, पत्र - पत्रिकाओं के सम्पादक, संवाददाता, स्वैच्छिक संस्थाएं, राजनैतिक नेता एवं आदिवासी सामाजिक नेताओं को आगे आना चाहिए। संविधान के अनुसार आदिवासीयों को मूल अधिकार दिलाने के लिए उनमें शिक्षा के प्रति जागृति लाकर शिक्षा का स्तर उंचा उठाकर आदिवासीयों में सामाजिक परिवर्तन निश्चित है।

संदर्भ सूची :

- Director. (2013). *State, District and Taluka wise Literate Population and Literacy rate (2001 to 2011) Gujarat*. Gandhinagar: Directorate of Economics and Statistics, Government of Gujarat.
- Education of Tribal Children in India available on http://ssa.nic.in/research-studies-docs/education_tribal_children.pdf
- Gamit M. & Patel, J.C. (2013). *Tribal Development Perspective & Issues*. Jaipur, Vista Publication.
- Government of Gujarat. (2015-16). *Tribal Development* (Yojanakiya Samput Ek Zalak). Gandhinagar, Information Commissioner.
- Gujarat State Tribal Education Society (2016). *Quality Education & Higher Education for Tribal Students*. Gandhinagar: Tribal Development Department, Government of Gujarat
- <https://tribal.gujarat.gov.in/tribal-demography-of-gujarat>
- Kabitakumari Sahu, D. (2014). Challenging Issues of Tribal Education in India. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 48-52
- [www.tribal.nic.in/Demographic Status of Scheduled Triba Population in India/](http://www.tribal.nic.in/Demographic>Status%20of%20Scheduled%20Tribal%20Population%20in%20India/) Retrived on April 18, 2014.